01

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

महावीर यादव वगै0 बनाम् मनोज यादव वगै0

विविध वाद संख्या –47 / 2024

U/S – 144 Cr.P.C.

आदेश की क्र0सं0 और तेथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. महावीर यादव, पिता – मंगर यादव,
2. सोबरन यादव, पिता – गणेश यादव,

साकिन– कोलहागोलगो , थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. मनोज यादव, पिता – स्व0 लक्ष्मण यादव,
2. जागेश्वर यादव, पिता – स्व0 लक्ष्मण यादव,

साकिन– कोलहागोलगो, थाना– बगोदर, जिला– गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं अंचल अधिकारी, बगोदर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहदी
कोल्हा गोलगो	02	902	15 डी0 मधे 11 डी0	उ0– रूपन महतो, द0– रास्ता, पु0– बेदु महतो, प0– ललवा चमार।

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 12.03.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है :–

1. लिखित आवेदन – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. निरमल महतो के नाम से ऑफलाईन खतियान की छायाप्रति– कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. टेकवा महतो वो तिलक महतो के नाम से ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 1 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**

08.06.2024

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

प्रथम पक्ष के लिखित कथन में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 04 – यह कि प्रथम पक्ष को यह जमीन खतियान से प्राप्त है, खतियान नीरमल महतो वल्द वीसुन महतो कौम गोवाला के नाम पर खतियान है, यह जमीन रैयती किस्म का है। यह जमीन मौजा – कोल्हा गोलहो, थाना नं0 – 84, खाता नं0 – 02, प्लॉट नं0 – 902, रकबा – 15 डी0 मधे 11 डी0 जिसकी चौहदी उ0 – रूपन महतो, द0 – रास्ता, पू0 – बेदू महतो, प0 – ललवा चमार।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि उपरोक्त जमीन की जमाबंदी अंचल कार्यालय, बगोदर में गणेश गोप वो मंगर गोप के नाम से दर्ज है जो पंजी 2 के भोलूम नं0 – 01, पेज नं0 – 153 में दर्ज है, राजस्व रसीद वर्ष 2024 तक निर्गत है।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 08.06.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. केवाला संख्या – 4385, दिनांक – 16.06.1958 की छायाप्रति – कुल 04 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. ऑफलाईन एवं ऑनलाईन लगान रसीद की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. पंचनामा की छायाप्रति, कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**

द्वित्तीय पक्ष के लिखित कारण–पृच्छा में संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 02 – यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा आपके न्यायालय में मौजा – कोल्हागोलगो, थाना – बगोदर, थाना नं0 – 84, खाता नं0 – 02, प्लॉट नं0 – 902, रकबा – 15 डी0 चौहदी उ0 – रूपन महतो, द0 – रास्ता, पू0 – संतोष यादव तथा प0 – संतोष यादव पर वाद लाये है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 04 – यह कि द्वित्तीय पक्ष को केवाला दस्तावेज सं0 – 4385, दिनांक – 16.06.1958 को तिलक महतो, वल्द निर्मल महतो वो गणेश महतो वो मंगर महतो पिता – टेको महतो के नाम से खरीदगी हासिल है। जिसका खाता नं0 – 02, प्लॉट नं0 – 902, रकबा – 15 डी0 खरीदगी चौहदी उ0 – रूपन महतो, द0 – रास्ता, पू0 – संतोष यादव तथा प0 – संतोष यादव है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 06 – यह कि द्वित्तीय पक्ष के दादा के द्वारा जमीन खरीदगी करने के बाद अपने नाम से दाखिल – खारिज करवा कर जमाबंदी पंजी 2 के पेज नं0– 40, भाग नं0 – 02 रैयत हिरामण महतो के नाम से मौजा – कोल्हा गोल्गो, थाना नं0 – 84, खाता नं0 – 02, रकबा – 10 डी0 का जमीन वर्त्तमान में चल रहा है।

कारण – पृच्छा का प्वांइट नं0 09 – यह कि प्रथम पक्ष पूर्वज केवाला दस्तावेज सं0 – 4385 का निर्माण करवाये थे उस समय खाता नं0 – 02, प्लॉट नं0 – 903, रकबा – 15 डी0 का निबंधन केवाला दर्ज हो गया है। लेकिन खाता, रकबा, चौहदी सही है, इस कारण से वर्षो से दखलकार चले आ रहे है, जब द्वित्तीय पक्ष के पूर्वज को जानकारी हुई की प्लॉट नं0 – 903 के जगह पर 902 प्लॉट नं0 होना चाहिये था। जिसके लेकर प्रथम पक्ष के पूर्वज के समक्ष कई बार केवाला मरमत करने का अनुरोध करते रहे इसी बीच प्रथम पक्ष का पूर्वज का देहान्त हो गया। केवाला दस्तावेज मरमत नहीं हो पाई।

08.06.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
(गिरिडीह),

Scanned with CamScanner

अंचल बगोदर का प्रतिवेदन –

अंचल अधिकारी, बगोदर का पत्रांक– 323 दिनांक – 06.04.2024 अनुलग्नक सहित कुल – 02 पृष्ठ (प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ, रा0उ0नि0 एवं प्र0अं0नि0 का प्रतिवेदन – 01 पृष्ठ) – **प्रदर्श C-1**

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कथन / कारण –पृच्छा, राजस्व दस्तावेज एवं अंचल के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि –

1. विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहदी
कोल्हा गोलगो	02	902	15 डी0 मद्धे 11 डी0	उ0– रूपन महतो, द0– रास्ता, पू0– बेदु महतो, प0– ललवा चमार।

2. उक्त विवादित भूमि, खाता नं0 – 02, खतियान में नीरमल महतो के नाम पर दर्ज है।

3. प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित जमीन उनके पूर्वज नीरमल महतो वल्द विशुन महतो कौम – गोवाला के नाम पर खतियान में दर्ज है तथा उपरोक्त जमीन की जमाबंदी पंजी II , भोलूम नं0 – 01, पेज नं0 – 153 पर उनके पूर्वज गणेश गोप वो मंगर गोप के नाम पर दर्ज है तथा वर्ष 2024 तक सरकारी लगान रसीद निर्गत है, तथा अपने बात के समर्थन में ऑफलाईन खतियान की छायाप्रति तथा एक ऑनलाईन रसीद संलग्न किया गया है।

4. द्वितीय पक्ष का कहना है कि ––– केवाला संख्या – 4385, दिनांक – 16.06.1958 के माध्यम से –––– प्रथम पक्ष के पूर्वज तीलक महतो वल्द नीरमल महतो वो गणेश महतो वो मंगर महतो, पिता – टेको महतो से –––– द्वितीय पक्ष के पूर्वज श्री हीरामन महतो, पिता – गोविन्द महतो को –––– खाता नं – 02, प्लॉट नं0 – 902, रकबा – 15 डी0 जमीन, चौहदी उ0 – रूपन महतो, द0 – रास्ता, पू0 – संतोष यादव, प0 – संतोष यादव, प्राप्त हुआ है।

   परन्तु उक्त केवाला – 4385, दिनांक – 16.06.1958 का अवलोकन करने पर पता चलता है कि केवाला में प्लॉट संख्या – 902 के स्थान पर, प्लॉट संख्या – 903, रकबा – 15 डी0 चौहदी उ0 – रूपन महतो, द0 – रास्ता, पू0 – वेदु महतो, प0 – टांड ललवा चमार दर्ज है।

   इस प्रकार द्वितीय पक्ष के कथन तथा केवाला में दर्ज प्लॉट एवं चौहदी में अंतर है।

5. पुनः द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त केवाला में प्लॉट नं0 – 903 के जगह पर प्लॉट नं0 – 902 होना चाहिए था क्योंकि वे लोग अभी प्लॉट नं0 – 902 पर है, और इस संबंध में प्रथम पक्ष के पूर्वज से केवाला मरम्मत करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु प्रथम पक्ष के पूर्वज का देहांत हो गया और केवाला मरम्मत नही हो पाया।

08.06.2024
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
...सरिया (गिरिडीह)

Scanned with CamScanner

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष के पूर्वज से द्वितीय पक्ष के पूर्वज एक केवाला लिये जिसमें प्लॉट नं0 – 903 दर्ज है जबकि वे प्लॉट नं0 – 902 पर काबिज हुए, तथा केवाला में प्लॉट नं0 – 903 के जगह पर प्लॉट नं0 – 902 करवाना चाहते हैं जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

चौहदी और कब्जा के आधार पर प्लॉट में सुधार Civil Court के द्वारा ही किया जा सकता है।

अतः उभय पक्ष को सलाह दिया जाता है कि Civil न्यायालय में जा कर इस समस्या का समाधान करायें।

इसके साथ ही इस वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

उभय पक्ष को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

08.06.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बगोदर–सरिया।

08.06.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 10:58:28 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned with CamScanner